



मोहाली पुलिस की बड़ी सफलता: चोर गिरोह काबू, 6 वाहन बरामद

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 6 मई (पागाम-ए-जगत) श्री हरमनदी सिंह, एम.ए.एस.पी., जिला एम.ए.एस.पी. के दिना-निर्देशों अनुसार तथा श्री दिलीप सिंह, एम.ए.पी. सिटी मोहाली के मार्गदर्शन में, मोहाली शहर में जो रही चोरी-कैशिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया।



संरक्षक के कमरे के पास, गृहकार साहिब के नजदीक, गांव दास, जिला एम.ए.एस.पी. नगर को काबू किया। उनके कमरे से चोरी की वस्तुओं का संकट रंग बरामद की गई। इस संबंध में मुकदमा

घर 303 को एम.ए.एस. के वलत वान फेन-1 मोहाली में दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिमांड के दौरान पंचज पुत्र राधे तथा निवासि मकान शहर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, गांव शाहपुर, पुर 24 वर्ष, हला निवासि मकान शहर मॉडल फेन-1 मोहाली तथा सदीप सिंह पुत्र जयवंदर सिंह निवासि गांव समनपुर सिंह, वहीसी खन्ना, जिला फरीदाबाद साहिब को वही आरोपी नामजद कर गिरफ्तार किया गया। विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए सात बरामद किए गए जिनमें एक बिना नंबर वाले मोटरसाइकिल मार्का पल्सर काला रंग, एक बिना नंबर वाले मोटरसाइकिल काला रंग, एक मोटरसाइकिल काला रंग, एक एफबीवा बिना नंबर वाले काला रंग तथा एक कार नंबर PB-50-6395 मार्का अल्टा 315 की। इस संबंध में मुकदमे में धारा 3(अ) और 317(2) बी.एन.ए.पी. को बढ़ावा दिया गया।

इनू ने 31 मई तक बढ़ाई असाइनमेंट्स मिलिट्री नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त जमा करने की अंतिम तिथि

कानला, 6 मई (प्रयोग वालिया) इनू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2026 तक दी गई है। उन्होंने विद्यार्थियों को निर्दिष्ट किया कि सभी असाइनमेंट्स हस्तलिखित ही तैयार करें। असाइनमेंट के साथ करण पत्र (निर्देश) विद्यार्थियों को सभी आवश्यक जानकारी दी। संबंधित प्रश्न पत्र, एम.ए.आई. काउंसिल और रजिस्ट्रार के पास का प्रिंट आउट जरूर तैयार करें। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपने असाइनमेंट अपने-अपने अध्ययन केंद्र पर केवल संस्कार को ही जमा करने के लिए जाएं। अध्ययन केंद्र को 1075, 1087 एवं 1000 के विद्यार्थी किसी भी कार्य दिवस में इनू क्षेत्रीय केंद्र, कानला में अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को यह सलाह दी कि असाइनमेंट जमा करने से पूर्व अपनी एक पीटीएम प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा जमा करते समय अध्ययन केंद्र से छात्रों नंबर अवश्य प्राप्त करें, तबक अभियंत्रण में किसी भी प्रकार की पुष्टावधि के लिए एक आक्षेप आम आ सके। सभी विभागीय केंद्रों को सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि से पहले अपनी असाइनमेंट्स जमा कर दें।

कानला, 5 मई (पागाम-ए-जगत) सैनिक कल्याण विभाग जमा के उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) एम.के. कालिया ने जिले में निवास कर रहे मिलिट्री नर्सिंग सेवा (एम्प्लूएनएस) से सेवानिवृत्त कर्मियों से जिला सैनिक कल्याण कालिया जमा में अपना पंजीकरण करवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अब कई सैनिक का दर्जा मुख्य रूप से बल सेवा, नौसेना एवं वायु सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों की वर्गीकरण का संशोधन था, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब मिलिट्री नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मियों को भी पूर्व सैनिक की श्रेणी में शामिल किया गया है। उपनिदेशक ने कहा कि जिला सैनिक कल्याण कालिया के पास जिले में निवास कर रहे एम्प्लूएनएस से सेवानिवृत्त कर्मियों का ब्यौर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो भी मिलिट्री नर्सिंग सेवा से सेवानिवृत्त कर्मी जिले में रह रहे हैं, वे शीघ्र जिला सैनिक कल्याण कालिया जमा में संपर्क कर अपना नाम दर्ज करवाएं और पूर्व सैनिक पहचान पत्र प्राप्त करें। इससे वे पूर्व सैनिकों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, सुविधाओं एवं अन्य लाभों का लाभ उठा सकेंगे।

कानून आया, खेल बदला... लेकिन टग अमी भी मैदान में

पागाम-ए-जगत कानला, 6 मई (प्रयोग वालिया) हरियाणा सरकार द्वारा लागू किए गए हरियाणा टैगल एक्ट पंजीकरण एवं विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को भले ही एक सख्त और जरूरी कदम माना जा रहा हो, लेकिन इसमें मौजूद खामियों अब भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कानूनों के चलते फनी एजेंट और टग इसका फायदा उठा सकते हैं, जिससे आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाल ही में राजस्थान की मंजूरी के बाद लागू हुए इस कानून के तहत अन्य टैगल एजेंट सोर्स और प्रविष्टों में मजदूरी नहीं भेज पाएंगे। इस फसले को मानव तस्करी और धोखाधड़ी पर रोक लगाने को दिना

दरवाजा बंद किया गया है... लेकिन डिजिटिज़ेड सुविधा छेड़ दी गई है। एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, कनाडा आधारित इमिग्रेशन और रिश्ता सलाहकार डॉ. अरविंद कानिया का कहना है कि अधिनियम अपने वर्तमान स्वरूप में अधूरा है और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है। उनके अनुसार, चीन काडेंसिंग सेवार् देने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या फेबोर प्रमाण को अनिवार्य नहीं होना एक बड़ी कमी है। इससे अनुभवहीन लोग आए, जो यह कानून और अधिक प्रभावी बना सकना है तथा चीन धोखाधड़ी पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

ताया कि कनाडा में इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं, परीक्षा और लाइसेंस अनिवार्य हैं। इसी तरह को व्यवस्था हरियाणा में भी लागू की जानी चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने मुख्य विचार कि किसी भी देश के लिए वीजा सेवार् देने वाले एजेंट को उस देश की अधिकृत नियामक संस्था से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य किया जाए। साथ ही, हर वीजा आवेदन के साथ अधिकृत प्रतिनिधि प्रेषण को अनिवार्य बनाने की जरूरत है, जिससे पादरिस्ता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन सुझावों को अधिनियम में शामिल किया जाए, तो यह कानून और अधिक प्रभावी बना सकना है तथा चीन धोखाधड़ी पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

20 साल का साम्राज्य मिनटों में ढेर

पागाम-ए-जगत कानला, 6 मई (प्रयोग वालिया) कानला के सेक्टर-37 में बुधवार को एमएसआईसीसी और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करी हुए करीब 12 एकड़ में फैले अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई लंबे समय से चली आ रही स्थितियों और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद की गई। प्रशासन के अनुसार, यह निर्माण एमएसआईसीसी की अधिष्ठापित जमीन पर किया गया था, जो एक पब्लिक वैंकेट सोर्स जिले में कानून से बाहर बने हुए थे। निर्माण में पहले संचालित पेशों को कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन कोई संतोखक जवाब नहीं मिला।

बुलडोजर की एंटी... और खल हुआ अर्ध 'महल', कानला में 'ऑपरेशन वलीन' : 12 एकड़ पर चला बुलडोजर, अवैध वैंकेट हॉल का 'द एंज' इसके बाद सख्त रुख अपनाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। बुधवार सुबह अधिष्ठापकों को टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और सबसे पहले मूडर चाल को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में भी सख्त अर्ध-वैंकेट हॉल और निर्माणों की प्रशासन की सूची में हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है।

संस्था में पुलिसकर्मियों तैनात रहे और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से चली। जकारकी के मुताबिक, वर्ष 2009 में सरकार ने कुल 231 एकड़ जमीन एमएसआईसीसी के लिए अधिष्ठापित की। इसी जमीन के एक हिस्से पर अवैध रूप से यह निर्माण किया गया था। मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद विभाग ने कार्रवाई को अंजम दिया। सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। कानला में एमएसआईसीसी की जमीन पर अवैध अर्ध-वैंकेट हॉल और निर्माणों की प्रशासन की सूची में हैं, जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है।

शिक्षा केवल डिग्री नहीं, व्यक्तित्व निर्माण का सबसे बड़ा माध्यम : डॉ. चौहान

पागाम-ए-जगत, नीलोखेड़ी/कानला, 6 मई (प्रयोग वालिया) हरियाणा प्रशासन विकास संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि प्रामाणिकता और वैदिकता को कोई भी नहीं है, आवश्यकता केवल सही मार्गदर्शन और अवसर को ही होती है। शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, वैदिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तबक ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान आज संस्थान के सभागार में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गौरी के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। विद्यालय को नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा की छात्रों अलग-अलग प्रामाणिक विकास संस्थान नीलोखेड़ी में एक्सपोजर विजिट पर आई थी।

मौद्रिक को बढ़ावा देना प्रामाणिक विकास संस्था का सबसे सख्त काम है। उन्होंने कहा कि प्रामाणिकता और वैदिकता को कोई भी नहीं है, आवश्यकता केवल सही मार्गदर्शन और अवसर को ही होती है। शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, वैदिक मूल्यों और आत्मनिर्भरता को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तबक ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले डॉ. कलाम ने यह सिद्ध किया कि संघर्ष और मेहनत से हर महान हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डॉ. कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने अंदर वैदिकता, सत्य, अनुशासन और देशप्रेम को भावना विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मातृभाषा हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहचान को आत्मा होती है। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और भावनाओं को जोड़ने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और वैदिक जीवन में हिंदी को अधिक से अधिक अपनाकर अपने वास्तविक पहचान को भी अपनी संस्कृति से जोड़कर रखना चाहिए। डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने छात्रों से उनकी समस्याओं और शिक्षालयों में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने छात्रों को आत्मनिर्भरता से अपने अपने बने और शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर हरियाणा प्रामाणिक विकास संस्थान के सहायक आयुक्त सुशील मेहता, सदीप कुमार, कमलदीप सोहनवा, राष्ट्रीय प्रामाणिक विकास संस्थान से वरिष्ठ सलाहकार पुरविंदर सिंह, स्टेट पंचायत सिसौं संदेश से नीलम शिकार सिंह हिमालय के शिक्षकाएं एवं छात्राध्यक्ष उपस्थित रहे।

शिकायतों का समयबद्ध निपटारा ही सुशासन की पहचान : डॉ. वैशाली शर्मा, निगमायुक्त

पागाम-ए-जगत कानला, 6 मई (प्रयोग वालिया) नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने विभिन्न जन शिकायत निवारण पौटल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को लेकर संचालित अभिकारियों को बैठक ली। बैठक में उन्होंने सी.एम. विद्वान, जय संवाद, संसाधन मॉडिया प्रोडेंस ट्रेडर (एम.ए.सी.टी.), समाचार पत्र, सीपी ग्राम समाधान शिबिरों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। इस मौके पर संयुक्त आयुक्त देवकीर्ति सिंह, एम. निगम आयुक्त विनोद नर, अभिकारि अधिष्ठापिता पुनीत कुमार तथा समर्थित अधिकारी मौजूद रहे।

शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए निगम में एम्प्लोईमेंट विंग का होगा गठन। पौटल पर लखित शिकायतों में से 50 प्रशिक्षण का निपटारा कर दोषाहृत कर उन्हें सुनिश्चित, अधिकारियों को त्वरित निर्या

को ओवरऑल ईंधाई नियुक्त किया जाएगा, जिससे समन्वय स्थापित कर तैयार करे कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। निगमायुक्त ने पधन एवं भूमि शाखा के अधिकारियों को लखित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने की अपेक्षाएं रखीं। इसके अतिरिक्त कर्मचारी अधिष्ठापकों एवं मुख्य संचालक निदेशक को भी अपने-अपने क्षेत्रों में निर्यात कर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्दिष्ट किया कि वे पौटल में सख्त सख्त सख्त सख्त का समाधान करें तथा नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दें। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध निपटारा ही सुशासन की पहचान है और इसमें किसी भी प्रकार की हिजाई बर्बाद नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निगम का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवार् प्रदान करना है और इसके लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।

शहरी निकाय चुनाव : 18 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए, अब 118 उम्मीदवार मैदान में

कानला, 6 मई (पागाम-ए-जगत) शहरी स्थानीय निकाय चुनाव-2026 के वलत जिला जमा में नामांकन-पत्र वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी तयारी सफ हो गई है। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 18 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जिसके बाद अब जिले के छह शहरी निकायों में कुल 118 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन काली ने बताया कि जिला जमा में नगर पंचायत गौरी, अंब, टाहलवाला, दौलतपुर चौक तथा नगर पंचायत मौरपुर-बरेलवाड़ा और मौरपुर 17 मई को मतदान होगा, जबकि 21 मई को मतदान का जाएगा। इन निर्वाचनों में कुल 28,281 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिनमें 14,197 पुरुष और 14,094 महिला मतदाता शामिल हैं। साथ ही यह है कि 283 युवा मतदाता जवाब देते चले, जिसके एक बड़ा जवाब मतदाता भी मतदान प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करेंगे।

उन्होंने बताया कि चुनावों के सफल निपटारे के लिए जिले में 48 मतदान केंद्र स्थापित किए

गए हैं, जहां मतदाताओं को सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं व्यवस्थापित सुनिश्चित की गई हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन के पास कुल 108 ईवीएम उपलब्ध हैं। इनमें हाल ही में प्राप्त 60 नए ईवीएम तथा पूर्व से उपलब्ध 48 मशीनें शामिल हैं। निर्वाचित निकायों में मशीनों का उपयोग मतदान केंद्रों पर किया जाएगा, जबकि शेष को रिजर्व बना जाएगा ताकि किसी भी अकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। नाम वापस लेने की प्रक्रिया के दौरान नगर पंचायत मौरपुर-बरेलवाड़ा से सार्वजनिक, नगर पंचायत सौरीपुर और नगर पंचायत अंब से एक-एक, नगर पंचायत टाहलवाला तथा नगर पंचायत गौरी से तीन-तीन और नगर पंचायत दौलतपुर चौक से दो प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस दिए। नगर पंचायत गौरी-बरेलवाड़ा से सार्वजनिक 8 प्रत्याशियों ने नाम वापस दिए। इनमें वार्ड नंबर-8 से हरीद्वीप सिंह, गेंडका कुमार और बलराम कुमार, वार्ड नंबर-2 से कमरेश, वार्ड नंबर-5 से बलवंदर सिंह और मखन सिंह,

समाधान समारोह के तहत सर्वोच्च न्यायालय में 21, 22 व 23 अगस्त को लगेगी विशेष लोक अदालतें

कानला, 6 मई (पागाम-ए-जगत) भारत की सर्वोच्च न्यायाधीशवाला न्याय और न्याय के तहत सर्वोच्च न्यायालय में 21, 22 व 23 अगस्त को लगेगी विशेष लोक अदालतें। इन अदालतों में अग्रणी न्यायाधीश और सज्जदों के जजि सुलझना है।

लोक अदालतों के साथ समाधान होगा। इन विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से चलित मामलों को दर्जों की आगामी सज्जदों और सज्जदों के जजि सुलझना है।

मुख्यमंत्री मान मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अपनी जांच कराएं: फतेह बाजवा

पागाम-ए-जगत चंडीगढ़, 6 मई (हरमिंदर नापाल) 'पंचायत भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक फतेह बाजवा ने कहा है कि पंचायत के मुख्यमंत्री भाजपा सिंह मान आजा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने इसका उचित कारण बताया। बाजवा आज भाजपा मान द्वारा जालंधर और अमृतसर में जौरी तथा हुए धमाकों के पीछे भारतीय जनता पार्टी को साक्ष्य बनाने पर लिपिकी कर रहे हैं।



मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं की रवानगी

जौरपुर 6 मई (पागाम-ए-जगत) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत डेप्युटी निदेशक क्षेत्र के जौरपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 से 33वीं वार्ड तक के माध्यम से श्रद्धालुओं को विधायक सुशील सिंह रंधावा जी श्री दरवार साहिब, दुर्गमवा मंदिर, श्री शारदाईक तीर्थ स्थल और अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन के लिए रवाना किया गया।

जौरपुर के वार्ड नंबर 24 से 33वीं और 34वीं वार्ड के जैलिए एम ब्रह्मद

के लिए यह योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि तीर्थ दर्शन की इस यात्रा के दौरान दो वार्ड के रहने की व्यवस्था पंचायत सरकार द्वारा अपने सार की जा रही है। इसके अलावा एसी बसें और भीजक का प्रबंध भी सरकार करे कर किया जाता है। स्वामीजी के माध्यम ब्रह्मदालुओं में सुखी और उत्साह का सौंदर्य प्रदान होगा। ब्रह्मदालुओं ने इस मौके पर पंचायत सरकार का धन्यवाद जताया और कहा कि इस योजना से उन्हें विधा कि शक्ति और आशा के धार्मिक स्थानों के दर्शन करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा भी उपस्थित बंद कराई गई।

गणना कार्य में कठोरी बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : एडीसी

गणना कार्य में कठोरी बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : एडीसी गणना कार्य में कठोरी बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : एडीसी गणना कार्य में कठोरी बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : एडीसी

गणना कार्य में कठोरी बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : एडीसी

गणना कार्य में कठोरी बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : एडीसी गणना कार्य में कठोरी बरतने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : एडीसी

